

QCI/PADD/HRAA/2025-26/283

28 Oct 2025

To,
Mr. Prabhakar Pandey
Managing Director
Royal Impact Certification Ltd
623, Tower B, Ithum IT Park, Plot No - A 40,
Sector - 62, Noida – 201301, Uttar Pradesh

Subject: Recognition as Hygiene Rating Audit Agency to Royal Impact Certification Ltd already accredited with NABCB ISO/IEC 17020 scope 03 & 30

Dear Sir,

This has reference to your application submitted for recognition under Hygiene Rating Audit Agency Scheme on **15 Oct 2025**.

We are glad to inform you that you have been granted recognition which is in line with NABCB approval under the Hygiene Rating Audit Agency Scheme from **28 Oct 2025 to 10 Feb 2028** with below mentioned conditions:

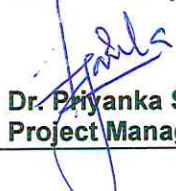
1. The recognition shall be valid for a period of as per NABCB, subject to fulfillment of all the recognition requirements as defined in recognition procedure for Hygiene Rating Audit Agency.
2. Agency shall comply to the assessment cycle as laid in the clause number 3.11 and clause number 7 for Maintenance of Recognition of Procedure for Recognition of Hygiene Rating Audit Agency Scheme document. Any deviation will be treated as non-compliance, may lead to suspension or withdrawal of recognition.

Assessment Heads	Timeline (in months)
1st Surveillance assessment	06th Month
1st Witness assessment	12th Month
2nd Surveillance assessment	18th Month
2nd Witness assessment	24th Month
3rd Surveillance assessment	30th Month
Renewal of recognition	33 – 36th Month

3. Witness assessment may be waived off during the period of recognition in case a witness assessment report is provided for the applicable HR Scheme scope under NABCB accreditation, based on the satisfactory acceptance of the report by PADD-QCI.
4. Agency shall comply with all the applicable requirements, criteria, man-day, fee structure, guidelines for use of QCI logo and other guidelines available for reference on the QCI website www.qcin.org
5. Agency shall comply with all the updated guidelines or requirements issued by QCI / FSSAI under HRAA Scheme.
6. Agency shall comply with the signed recognition agreement and undertaking during the period of recognition, failing to the comply shall lead to suspension/withdrawal/termination of recognition as applicable.
7. Agency shall display in its website, list of rated Food Establishments (FEs) as publically available information.
8. Agency shall apply for renewal at least 03 months prior to expiry of this recognition, which shall be the responsibility of HRAA.

Please ensure that the agency maintains competence as per **Hygiene Rating Audit Agency Recognition Scheme** at all times.

Thanking You,
Yours faithfully,


Dr. Priyanka Sarkar
Project Manager PADD, QCI

QCI'S BOARDS & DIVISIONS



मुख्य कार्यालय | Head Office

J200, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi, 110029 | J200, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली, 110029 | info@qcin.org | www.qcin.org

+91-11- 2618 6680 | +91-11-2618 6681



क्यूसीआई/पैड/एचआरए/2025-26/283

दिनांक: 28 अक्टूबर 2025

सेवा में,

श्री प्रभाकर पांडे

प्रबंध निदेशक

रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड

623, टॉवर बी, इथम आईटी पार्क, प्लॉट नं. ए-40,

सेक्टर - 62, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश

विषय: हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी के रूप में मान्यता – रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड (जो पहले से ही एनएबीसीबी ISO/IEC 17020 स्कोप 03 और 30 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है)

महोदय,

15 अक्टूबर 2025 को आपके द्वारा हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी योजना के अंतर्गत मान्यता हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन के संदर्भ में यह पत्र है।

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपको एनएबीसीबी की स्वीकृति के अनुरूप, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी योजना के अंतर्गत **28 अक्टूबर 2025 से 10 फरवरी 2028** तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की जाती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

1. यह मान्यता एनएबीसीबी की मान्यता अवधि के अनुसार वैध रहेगी, बशर्ते कि एजेंसी हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी की मान्यता प्रक्रिया में परिभाषित सभी आवश्यकताओं को पूरा करती रहे।
2. एजेंसी को मान्यता बनाए रखने हेतु योजना दस्तावेज के क्लॉज 3.11 और क्लॉज 7 में निर्दिष्ट मूल्यांकन चक्र का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की विचलन को अनुपालन न करना माना जाएगा, जिससे मान्यता निलंबन या समाप्ति की कार्यवाई की जा सकती है।

मूल्यांकन शीर्षक	समय-सीमा (महीनों में)
प्रथम सर्विलांस मूल्यांकन	6वां माह
प्रथम विटनेस मूल्यांकन	12वां माह
द्वितीय सर्विलांस मूल्यांकन	18वां माह
द्वितीय विटनेस मूल्यांकन	24वां माह
तृतीय सर्विलांस मूल्यांकन	30वां माह
मान्यता का नवीनीकरण	33वां – 36वां माह

3. यदि एनएबीसीबी मान्यता के अंतर्गत लागू एचआर योजना स्कोप के लिए विटनेस मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और 'पैड-क्यूसीआई' द्वारा स्वीकार्य पाई जाती है, तो उस अवधि के दौरान विटनेस मूल्यांकन को माफ किया जा सकता है।
4. एजेंसी को क्यूसीआई वेबसाइट www.qcin.org पर उपलब्ध सभी लागू आवश्यकताओं, मानदंडों, मैन-डे, शुल्क संरचना, क्यूसीआई लोगो के उपयोग के दिशा-निर्देशों एवं अन्य दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।



5. एजेंसी को एचआरएए योजना के अंतर्गत **क्यूसीआई / एफएसएसएआई** द्वारा जारी सभी नवीनतम दिशानिर्देशों या आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
6. एजेंसी को मान्यता अवधि के दौरान **हस्ताक्षरित मान्यता समझौते और घोषणा-पत्र** के अनुरूप कार्य करना होगा; अनुपालन न करने की स्थिति में मान्यता **निलंबित / समाप्त / रद्द** की जा सकती है।
7. एजेंसी को अपनी वेबसाइट पर **रेटेड फूड एस्टैब्लिशमेंट्स (FES)** की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
8. एजेंसी को मान्यता की अवधि समाप्त होने से कम से कम **03 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन** करना होगा; इसकी जिम्मेदारी एचआरएए की होगी।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि एजेंसी हर समय **हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी मान्यता योजना** के अनुसार अपनी **क्षमता और अनुपालन** बनाए रखे।

सधन्यवाद,

भवदीया,

(डॉ. प्रियंका सरकार)

प्रोजेक्ट मैनेजर, पैड, क्यूसीआई